

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,
गृह विभाग।


आदेश

श्री जगत नारायण पासवान, उपाधीक्षक को निलंबन से मुक्त किया गया है और वे सम्प्रति निलंबन अवधि के लिए निर्धारित किये गये मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में हैं। अतः निलंबन से मुक्ति के उपरान्त श्री पासवान को उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित कारा में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	कर्मि का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4
1	श्री जगत नारायण पासवान, उपाधीक्षक	पदस्थापन की प्रतीक्षा में	मंडल कारा, मधेपुरा

2. संबंधित काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में पदस्थापित कर्मि को अनिवार्य रूप से विरमित करते हुए उन्हें अपने नव पदस्थापन कारा पर योगदान करने का निदेश दें।

3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


25.8.15

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र.),
बिहार, पटना।

5034.

ज्ञापांक- कारा/र.य.त. (अ.र.न.) 01-32/2011

पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2015।

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, संबंधित केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/श्री जगत नारायण पासवान, उपाधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


25.8.15

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र.),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2015।

ज्ञापांक- 5034

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


25.8.15

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र.),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2015।

ज्ञापांक- 5034

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


25.8.15

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र.),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25 अगस्त, 2015।

ज्ञापांक- 5034.

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


25.8.15

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक(प्र.),
बिहार, पटना।